

कानूनी शिक्षा और समाचार पत्र के बीच अंतःसंबंध

पंकज मिश्रा, शोधार्थी (पत्रकारिता और जनसंचार)

डॉ के.के.सिंह, शोध पर्यवेक्षक

सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भोपाल (मप्र)

शोध सारांश

कानून के संदर्भ में देखा जाये, तो भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। इस संविधान के जरिये देश में शांति व्यवस्था, नागरिकों को प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कराया जाता है। ये सभी कानून समाज को उन व्यक्तियों से भी मदद करते हैं, जो उन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाये तो भारत में कानून शिक्षा का भी लंबा इतिहास है। अब सवाल यह है, कि क्या कानून की खबरों को समाचार पत्रों में उतना ही महत्व दिया जाता है, जितना अन्य क्षेत्र खासकर राजनैतिक खबरों को महत्व दिया जाता है। समाचार पत्रों की स्थिति को देखें तो पिछले दो दशकों से समाचार पत्रों के कलेवर और तेवर दोनों में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके अलावा तकनीक आधारित परिवर्तन भी समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन के दौरान समाचार पत्रों में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे प्रयासों को अध्ययन में शामिल किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्र किस प्रकार से कानून की जानकारी देकर जनसामान्य को जागरूक कर सकते हैं, इनको अध्ययन में शामिल किया गया है।

बीज शब्द- मौलिक अधिकार, समाचार पत्र, कानूनी शिक्षा, जागरूकता, कर्तव्य आदि।

प्रस्तावना

कानून की सामान्य रूप से जानकारी देने के लिये संचार माध्यम सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं। समाचार पत्र इस भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं, लेकिन कई कानूनों की जानकारी जनसामान्य को न होने के कारण भी परेशानी का सामना या न्याय से वंचित होने की स्थिति निर्मित होती है। समाचार पत्रों में हालांकि लगभग हर क्षेत्र की खबरों का प्रकाशन किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है, कि कानून से संबंधित खबरों की संख्या बाकी क्षेत्र की खबरों से कम होती है। इसके पीछे जो कारण सामने आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है, कि समाचार पत्रों के प्रतिनिधि या पत्रकारों को ही कानून की जानकारी नहीं होती है जिसके कारण वे उन खबरों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर समाचार पत्र तो वकीलों के माध्यम से ही खबरों को संकलित करते हैं। कुछ समाचार पत्रों द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की समाचार पत्र के प्रतिनिधि के रूप में सेवार्यें ली जाती हैं और उनको मानदेय का भुगतान किया जाता है।

कोर्ट की रिपोर्टिंग के समय सबसे बड़ा खतरा या डर इस बात का होता है, कि कोई भी तथ्य की विवेचना ठीक से नहीं हो पाने की स्थिति में कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी। लगभग यही स्थिति अपराध की

खबरों के साथ होती है। हालांकि अपराध की खबरों की विवेचना तो पत्रकार कर लेते हैं, लेकिन उन घटनाओं में पुलिस ने सही धाराओं में कार्रवाई की है, या फिर आरोपी को बचाने का प्रयास किया है, इसकी ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर अपराध की खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के मुख्य स्रोत पुलिस के ही निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो घटना की जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की या जो जानकारी दे नहीं पाते है या जानबूझकर उन जानकारियों को छिपा लेते हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती है। कई मामलों में देखा गया है, कि मामले की ट्रायल के दौरान या तो कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी पड़ती है या फिर नयी धारार्ये जोड़ने के निर्देश देने पड़ते हैं।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार से हैं।

- 1-समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों का अध्ययन करना।
- 2-समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों से पाठकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- 3-समाचार पत्रों में प्रकाशित कानून संबंधी खबरों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

कानून की सामान्य जानकारी

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश के निवासियों को भारत के संविधान के मुताबिक कई अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके अलावा कानूनी न्याय व्यवस्था के द्वारा अधिकारों के साथ ही साथ कुछ कानून भी निर्धारित और कार्यान्वित किये गये हैं। यह कानून ऐसे लोगों से देश के निवासियों की मदद करते हैं, जो अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है, कि कानून, अधिकारों का लाभ उठाकर मनुष्य के भ्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन है।

कानून, विशेष नियमों की एक व्यवस्था है, जिसे अदालतों के द्वारा लागू किया जा सकता है। इन कानूनों को राज्य सरकार या केंद्र की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, कि कानून, विधायिका द्वारा बनाये गये नियमों का एक निकाय है। कानून ऐसे नियम हैं, विभिन्न समुदाय में रहने वाले सभी लोगों को बांधते हैं। कानून के द्वारा ही सामान्य अपनी सुरक्षा की रक्षा करते हैं और अन्य लोगों, संगठनों या स्वयं सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ नागरिक अपने अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं।

समाचार पत्र और कानून

वैसे तो समाचार पत्रों में विविध विषयों की सामग्री प्रकाशित की जाती है। इन विषयों में समसामायिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बाजार, खेल, फैशन, जीवन शैली, अपराध, सांस्कृतिक और धर्म जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कानून संबंधी खबरों का भी प्रकाशन किया जाता है। यदि समाचार पत्रों में देखे तो सबसे ज्यादा राजनैतिक खबरों को प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अपराध से जुड़ी खबरों की संख्या होती है। समस्या आधारित खबरों का भी प्रकाशन स्थानीय स्तर के समाचारों के रूप में किया जाता है। कानून की खबरों की संख्या के हिसाब से देखें तो कानून की खबरों को

कम संख्या में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ये खबरें समाज को जागरूक में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। समय और सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाओं का अहम स्थान है। ऐसे में कानून संबंधी जानकारी लगभग हर समाज में रहने वाले लोगों के लिये जरूरी है। इसी आवश्यकता के आधार पर कानून की खबरों का प्रकाशन किया जाता है। हालांकि कानून की खबरों की संख्या उतनी नहीं होती है या इसके इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, कि इतने विस्तार से नहीं होती है, कि लोगों का जागरूकता का स्तर बढ़ सके।

समाचार पत्रों में कानून की खबरों का प्रभाव

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, कि समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली खबरों या विज्ञापनों का अपना प्रभाव होता है। इस प्रभाव से समाज का लगभग हर वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अब सवाल यह है, कि कानून संबंधी खबरों का किस प्रकार के प्रभाव होता है। जब किसी मामले की सुनवाई होती है, या न्यायालय के आदेश पारित होते हैं, तो लोगों को घटना और निर्णय दोनों की जानकारी होती है। ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं, जिनको निर्णय के बाद ही घटना या वारदात की जानकारी हो पाती है। हालांकि यह भी सच है, कि समाचार पत्रों में जिस प्रकार का विश्लेषण अन्य विविध प्रकार की खबरों को लेकर किया जाता है, उस प्रकार का विश्लेषण कानून संबंधी खबरों का पढ़ने के लिये नहीं मिलता है। विश्लेषणात्मक खबरें सबसे ज्यादा या जो राजनीति क्षेत्र की होती है, या फिर बालीवुड की। कानून की खबरों में विश्लेषण न होने से पाठकों को सीधे तौर से समझने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। खबरों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, कि समाचार पत्रों में कानून की खबरें लिखने वाले विशेषज्ञों की कमी होती है। इसके अलावा कानून की खबरों का संकलन करने वाले पत्रकारों की भी कमी है। ज्यादातर समाचार पत्रों में विधि संवाददाता के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को ही यह जिम्मेदारी दे जाती है। पूर्णकालिक विधि संवाददाता न होने के कारण भी कानून की संबंधों की संख्या कम रह जाती है। इसके अलावा कानून की खबरों में नियमितता का भी अभाव होता है। जब कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किये जाते हैं तो समाचार पत्रों में जगह मिलती है। इसके बाद फालोअप जैसी कोई खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने के लिये नहीं मिलती है। इसके अलावा कानून से संबंधित प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्तियों बड़ी संख्या में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अलावा विज्ञापनों की संख्या भी पर्याप्त होती है।

निष्कर्ष

कानून की पूरी जानकारी पत्रकारों को न हो पाने और कोर्ट की अवमानना के डर से भी कानून की खबरों की संख्या बाकी खबरों की तुलना में कम रहती है। प्रस्तुत अध्ययन के दौरान कानून, कानूनी शिक्षा के महत्व और समाचार पत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है। कानून, समाज में आचरण का एक आदर्श स्थापित करता है। किसी भी देश के द्वारा कानून, नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये बनाये जाते हैं। कानून के जरिये ही सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जा सकते हैं, इसलिये यह जरूरी है, कि कानून की जानकारी के लिये कानून की खबरें समाचार पत्रों में न सिर्फ प्रकाशित हो, बल्कि

वे खबरें समाज में जागरूकता के लिये भी जरूरी हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1-डॉ प्रमोद कुमार अग्रवाल (2021) भारत का संविधान, प्रभात प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पेज संख्या-27

2-डॉ प्रमोद कुमार अग्रवाल (2021) भारत का संविधान, प्रभात प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पेज संख्या-32

3-शिक्षा का विश्वकोश-1972।

4-<https://www.legalserviceindia.com/legal/article-199-legal-education-system-in-india.html>

5- <https://www.iilsindia.com/blogs/development-of-legal-education-in-india>

6- <https://www.mpgkpdf.com/2020/05/history-of-news-paper-in-mp.html>